न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 49 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 07.08.2025

सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) कलेक्ट्रेट टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

श्री रतनसिंह (पूर्व उचित मूल्य दुकानदार) पुत्र नन्द सिंह निवासी खरेडा थाना टोडारायसिंह जिला टोंक

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–4 पी.डी.आर.एक्ट 1952

उपस्थिति : (1) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक
(2) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक** 07.10.2025

प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि रतनसिंह (पूर्व उचित मूल्य दुकानदार) पुत्र नन्द सिंह निवासी खरेडा थाना टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा अकाल राहत के 164 क्विंटल 87 किलोग्राम गेहूँ के गबन करने पर 108815 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव वास्ते सुनवाई अप्रार्थी (बाकीदार) को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी पर (1) अकाल राहत गेहूं का गबन किये जाने (2) अभियुक्त का उचित मूल्य दुकान की डीलर के प्राधिकार पत्र मे दर्ज नही होने एवं (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य में प्रमाणित नही किये जाने के सम्बन्ध मे तीनो अपराधो के प्रति श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष फौजदारी प्रकरण सं0–395 / 2005 अपराध अ. धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज कर कार्यवाही की गई थी, जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा दिनांक 22.05.2025 को निर्णय पारित कर प्रार्थी पर (1) अकाल राहत गेहूं का गबन किये जाने (2) अभियुक्त का उचित मूल्य दुकान की डीलर के प्राधिकार पत्र मे दर्ज नही होने का अपराध प्रमाणित नहीं माना तथा (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य मे प्रमाणित नही किये जाने के सम्बन्ध मे दोषसिद्ध किया गया, जिसका वर्णन बिंदु सं. 29 में स्पष्ट है तथा (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य मे प्रमाणित नही किये जाने का अपराध सिद्ध पाये

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

जाने के कारण परीविक्षा का लाभ देकर बरी किया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक के निर्णय दिनांक 22.05.2025 से यह स्पष्ट है कि गबन के बिंदु पर न्यायालय ने प्रार्थी को बरी किया है। इस कारण पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 में प्रार्थी से किसी प्रकार की वसूली शेष नही रहती है। अतः कार्यवाही ड्राप किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण मे राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रतनसिंह (पूर्व उचित मूल्य दुकानदार) पुत्र नन्द सिंह निवासी खरेडा थाना टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा अकाल राहत के 164 क्विंटल 87 किलोग्राम गेहूँ के गबन करने पर 108815 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाया गया है। अप्रार्थी (बाकीदार) जिला टोक में निवासरत होने से उसके विरूद्ध पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियों की गणना कर राशि 108815 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा सम्पादित की जानी है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2025 मे बिन्दू संख्या–29 मे "हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर अकाल राहत गेहूं का गबन किये जाने, अभियुक्त की उचित मूल्य दुकान का डीलर के प्राधिकार पत्र में दर्ज नहीं होने का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है। अभियुक्त पर केवल स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्यालय से प्रमाणित नहीं करवाये जाने का आरोप साबित पाया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त की आयु को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है का उल्लेख किया है "। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने अप्रार्थी को परीविक्षा अधिनियम का लाभ देकर छोडा है। अप्रार्थी ने अकाल राहत के तहत प्राप्त गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर मे इन्द्राज नही किया है। अप्रार्थी पर स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्यालय से प्रमाणित नहीं करवाये जाने का आरोप साबित है। अतः उक्त राशि अप्रार्थी (बकायादार) से वसूल किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध बाद जांच 03 आरोप लगाये गये है (1) अकाल राहत गेहूं का गबन किये जाने (2) अभियुक्त का उचित मूल्य दुकान की डीलर के प्राधिकार पत्र मे दर्ज नही होने एवं (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य में प्रमाणित नही किये जाने के सम्बन्ध मे तीनो अपराधो के प्रति श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष फौजदारी प्रकरण सं0–395/2005 अपराध अ. धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज कर कार्यवाही की गई थी, जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा दिनांक 22.05.2025 को निर्णय पारित कर प्रार्थी पर (1) अकाल राहत गेहूं का गबन किये जाने (2) अभियुक्त का उचित मूल्य दुकान की डीलर के प्राधिकार पत्र मे दर्ज नही होने का अपराध प्रमाणित नहीं माना तथा (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य मे प्रमाणित नही किये जाने के सम्बन्ध मे दोषसिद्ध किया गया, जिसका वर्णन बिंदु सं. 29 में स्पष्ट है तथा (3) स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य मे प्रमाणित नही किये जाने का अपराध सिद्ध पाये जाने के कारण परीविक्षा का लाभ देकर बरी किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध सिर्फ आरोप संख्या–3 साबित हुआ है। गबन साबित नही माना है। जिला

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

रसद अधिकारी टोक द्वारा गलत नोटिस दिया गया है। जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के निर्णय दिनांक 22.05.2025 की अपील भी नही की है। इस प्रकार पी.डी.आर. एक्ट की धारा 4 में प्रार्थी से किसी प्रकार की वसूली शेष नही रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा अकाल राहत के 164 क्विंटल 87 किलोग्राम गेहूँ के गबन करने पर 108815 रूपये पीडी आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने फौजदारी प्रकरण सं. 395/2005 अपराध अ. धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे अपने निर्णय दिनांक 22.05.2025 मे "केवल स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्य मे प्रमाणित नही किये जाने का अपराध सिद्ध पाये जाने के कारण परीविक्षा का लाभ देकर बरी किये जाना का उल्लेख किया है। अप्रार्थी के विरूद्व सिर्फ आरोप संख्या–3 साबित हुआ है। गबन साबित नही माना है। जब गबन ही साबित नही है तो वसूली किस प्रकार की जा सकती है।

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2025 मे " अप्रार्थी को आरोपित अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उसे तुरन्त किसी दण्ड से दण्डित करने के बजाय अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 04 का लाभ दिया गया है।"माननीय न्यायालय ने पारित निर्णय मे अप्रार्थी द्वारा अकाल राहत के 164 क्विंटल 87 किलोग्राम गेहूँ के गबन करने पर 108815 रूपये की राशि बाबत कोई दिशा–निर्देश जारी नही किये है। माननीय न्यायालय ने भी अप्रार्थी को स्टॉक रजिस्टर को अकाल राहत कार्यालय से प्रमाणित नहीं करवाये जाने का आरोपी माना है। स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित नही होने व स्टॉक रजिस्टर मे गेहूँ का इन्द्राज प्रोपर नही होने से बकाया राशि की रिकवरी किया जाना उचित है। अप्रार्थी (बकायादार) जिला टोंक में निवासरत होने से उसके विरुद्व पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियो की गणना कर राशि 108815 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। अप्रार्थी (बकायादार)को पहले ही काफी समय बकाया राशि जमा करवाने हेतु दिया जा चुका है। अब समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण को हम न्याय के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः पब्लिक डिमाण्ड एण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत बाकीदार श्री रतनसिंह (पूर्व उचित मूल्य दुकानदार) पुत्र नन्द सिंह निवासी खरेडा थाना टोडारायसिंह जिला टोंक से 108815 रूपये की राशि वसूली करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक